तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.44/2023	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म कीतामिल में जारी हुए
05.6.2023	पत्रावली आज पेश हुई। श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही अनुपस्थित। प्रतिवादी सुशील कुमार पुत्र तलाराम जी गहलोत, जाति– घांची, निवासी– गाडलिया वास, नई झाडोली, तहसील– पिण्डवाडा, जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म सुशील ट्रेडिंग कम्पनी, गाडलिया वास, नई झाडोली, तहसील– पिण्डवाडा, जिला– सिरोही के अधिवक्ता उपस्थित। आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादी के विरुद्ध श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही (हाल निलम्बित) द्वारा दिनांक 22.1.2022 को फर्म सुशील ट्रेडिंग कम्पनी, गाडलिया वास, नई झााडोली, तहसील– पिण्डवाडा, जिला– सिरोही में प्रतिवादी सुशील कुमार से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ घी (जय कृष्णा ब्राण्ड) का नमूना संख्या S-1617 खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./300/Act/2022/355 दिनांक 17.2.2022 में अमानक (sub-standard) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 51 के तहत प्रस्तुत कर प्रतिवादी पर जुर्माना आरोपित करने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाया गया। जिस पर प्रकरण की सुनवाई के दौरान प्रतिवादी की ओर से उसके अधिवक्ता श्री सुमेर सिंह राजपुरोहित उपस्थित हुये। प्रकरण में दिनांक 26.5.2023 को प्रतिवादी सुशील कुमार की ओर से लिखित जवाब प्रस्तुत किया। प्रकरण में दिनांक 26.5.2023 को ही प्रतिवादी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रतिवादी के वकील ने यह व्यक्त किया कि अप्रार्थी सुशील कुमार द्वारा विक्रय किया गया घी (जय कृष्णा ब्राण्ड) के अमानक होने की जानकारी प्रतिवादी सुशील कुमार को नही है। प्रतिवादी को घी (जय कृष्णा ब्राण्ड) के अमानक होने की जानकारी होने पर घी (जय कृष्णा ब्राण्ड) को क्रय व विक्रय करना बन्द कर दिया है। यह प्रतिवादी का पहला अपराध है। प्रतिवादी की छोटी से दुकान है जिससे प्रतिवादी अपने परिवार का पालन पोषण करता है। अतः प्रतिवादी पर कम से कम जुर्माना करके प्रकरण का निस्तारण करने का अनुरोध किया। हमनें सुनी गई बहस पर [illegible] एवं पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध [illegible] अध्ययन एवं अवलोकन किया [illegible] श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं ......लगातार	

अति. जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.07.21 17:28:56 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.44/2023	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए

ास्थ्य अधिकारी, सिरोही (हाल निलम्बित) ने दिनांक 22.1.2022 को फर्म सुशील ट्रेडिंग कम्पनी, नई झाडोली, तहसील– पिण्डवाडा, जिला– सिरोही में प्रतिवादी सुशील कुमार पुत्र तलाराम जी गहलोत, जाति– घांची, निवासी– गाडलिया वास, नई झाडोली, तहसील– पिण्डवाडा, जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म सुशील ट्रेडिंग कम्पनी, गाडलिया वास, नई झाडोली, तहसील– पिण्डवाडा, जिला– सिरोही से दुकान के फर्श पर गत्ते के डिब्बे में आम जन के बिक्री हेतु रखे हुए खाद्य पदार्थ घी (जय कृष्णा ब्राण्ड) के 132 पैक्ड पैकेट (प्रत्येक 500 एम.एल.) में से खाद्य पदार्थ घी (जय कृष्णा ब्राण्ड) के 4 पैक्ड पैकेट (प्रत्येक 500 एम.एल.) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूना जांच हेतु कीमतन क्रय कर विधिवत कार्यवाही करते हुए खाद्य पदार्थ घी (जय कृष्णा ब्राण्ड) के नमूना संख्या S-1617 को जांच हेतु खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को भिजवाया, जो खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./300/Act/2022/355 दिनांक 17.2.2022 के अनुसार अमानक (sub-standard) पाया गया है। चूंकि प्रकरण में प्रतिवादी ने उक्त खाद्य पदार्थ घी (जय कृष्णा ब्राण्ड) के क्रय का बिल प्रस्तुत नही किया है। इससे, यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी सुशील कुमार ने अमानक (sub-standard) खाद्य पदार्थ घी (जय कृष्णा ब्राण्ड) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा (ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प. 1(2)कार्मिक/क–4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा– 51 के तहत प्रतिवादी प्रतिवादी सुशील कुमार पुत्र तलाराम जी गहलोत, जाति– घांची, निवासी– गाडलिया वास, नई झाडोली, तहसील– पिण्डवाडा, जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म सुशील ट्रेडिंग कम्पनी, गाडलिया वास, नई झाडोली, तहसील– पिण्डवाडा, जिला– सिरोही पर राशि रुपये 5,000/– (अक्षरे रुपये पांच हजार मात्र) का जुर्माना अधिरोपित किया जाता है। प्रतिवादी सुशील कुमार को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 15 दिन के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया। निर्णय की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादी को प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते जमा हो[illegible] राशि डी.डी. आयन्दा दिनांक 27.6.2023 को पेश हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.07.21 17:28:56 IST
Reason: SelfAttested

(के.आर. [illegible])
सिरोही–[illegible]